

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंधानुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-18 में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध चयन का निर्णय राजस्थान असेसमेंट सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1958 के नियम 18 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण बन्द लिफाफे में रखा गया था।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश शिविरा -ना/ वि जाच/ 11163(एम-148)/13 / 610 दि० 22.11.18 द्वारा प्रकरण समाप्त (DROP) किये जाने के कारण इनका उक्त लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध पे-मैट्रिक्स के लेवल-18 पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :-

क्र०स०	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम व वर्ग	जन्म तिथि	वरि०/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	313(1) वर्ष 08-09	श्री राजेन्द्र सिंह (SC) व्याख्याता-हिन्दी	15-01-1972	2018-19 sch-i/iii SC	महावीर प्रसाद (SC)	01-03-67	313/08-09
					हरिराम देवल (SC)	25-02-63	313(2)/08-09

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प० 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक की दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने एवं उक्त पद की निर्धारित योग्यता धारित नहीं करने पर, पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(Handwritten Signature)

(नथमल डिडेल)
आवरण
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/बी-111/डीपीसी/बंद लिफाफा/प्रधानाचार्य/2018-17 से 18-19/जे-2 दिनांक 08-01-19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लख है कि उक्त आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, टोंक
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, टोंक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/विजांच/ एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. संबंधित कार्मिक श्री राजेन्द्र सिंह, (SC) व्याख्याता-हिन्दी, कार्यक्रम अधिकारी सभर शिक्षा अभियान, टोंक
10. प्रभार प्रभारी -बी-2, कार्यालय हाजा को पदस्थापन हेतु।
11. रक्षित पत्रावली: .../बी-3/ डीपीसी/ प्रधानाचार्य/ 2018-19

(Handwritten Signature)
संयुक्त निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर